... उप० लिखित साक्ष्य प्रस्तुत की गई। मौजूदा अभिलेख पर प्रश्न डाले गये। वास्ते बहस एवं अन्य साक्ष्य वादी दिनांक 23/11/16 को पेश हो।

नी०पी०

पत्रावली प्रस्तुत/पीठासन अधिकारी महोदय दौरे पर / अन्य कार्य मे व्यस्त है । अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक.............. को पेश हो ।

16/12/16 जनरल तारीख है

पत्रावली प्रस्तुत उभय पक्ष उपस्थित पूर्वदिशानुसार पत्रावली दिनांक...24/12/16...को पेश हो ।

24/12/16 वकुलाय फरीकैन उप० वास्ते ~~साक्ष~~ साक्ष्य वादी समय चाहा। वादी उप० नहीं है। अंतिम अवसर वास्ते साक्ष्य वादी दी जाती है ~~अवसर~~ दि० 23/1/17 को पेश हो।

23/1/17 वकुलाय फरीकैन उप० वादीगण की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एड. ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी स्वयं उप० साक्ष्य पेश हुई। वकील वादीगण ने एकपक्षीय बहस की। वास्ते आदेश दि० 30/1/17 को पेश हो।

नी०पी०

30.01.17 वकुलाय फरीकैन उप० वकील वादीया की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पर मनन करने पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विवादित आराजियात ख० नं० 95

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्

दिनांक	फर्द अहकाम
	रकबा 0.31 हे० वाके ग्राम वजेड़ा तहसील हिण्डौन की खातेदारी वादिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादिया आराजियात मालिकाना हक रखती है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए हैं। मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070-73 प्रदर्श-1 विवादित आराजियात ख०नं० 95 रकबा 0.31 हे० ग्राम वजेड़ा से प्रतिवादीगण का कोई मालिकाना हक नहीं है। अतः दावा स्थाई निषेधाज्ञा बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीया की आराजी ख०नं० 95 ग्राम वजेड़ा के उपयोग, उपभोग एवं कब्जा काश्त मे कोई मजाहमत, मदाखलत नहीं करें। ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावें। पर्चा डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।
	निर्णय खुले इजलास दिनांक 30.1.2017 को सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

Scanned by CamScanner